प्रेस नोट दिनाँक-10.09.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री श्रवण कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा मु00सं0 167/1993 धारा 323/325 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त (1) धर्मपाल (2) रामपाल पुत्रगण रामआसरे केवट (3) पंचा पुत्र मैकू निवासीगण बेरेठी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. श्री श्रवण कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी
2. मुख्य आरक्षी मधुसूदन पाठक
3. आरक्षी दिनेश कुमार यादव
4. आरक्षी प्रमोद कुमार

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में अपहृत/गुमशुदा की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह चौकी प्रभारी जिलाचिकित्सालय तथा उनकी टीम द्वारा गुमशुदा बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि दिनाँक-09.09.2020 को श्रीमती दम्पी देवी पत्नी सूरजपाल निवासी पुरानी कोतवाली लक्ष्मणपुरी कर्वी द्वारा अपनी पुत्री की गुमशुदगी थाना कोतवाली कर्वी में दर्ज करायी गयी थी। जो दिनाँक-06.09.2020 समय 02 बजे से लापता थी एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। श्री दिनेश कुमार सिंह चौकी प्रभारी जिलाचिकित्सालय के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा बालिका को रामघाट से सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

बरामदगी/सुपुर्दगी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह चौकी प्रभारी जिलाचिकित्सालय
2. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार मौर्या

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के कुशल निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी की टीम से उ0नि0 श्री राजीव कुमार मय हमराही द्वारा रेलवे फाटक खोह के पास से अवैध गांजा की तस्करी करने वाले गांजा तस्कर (1) धनराज पुत्र श्यामलाल निवासी कन्धवनिया थाना राजापुर जनपद चित्रकूट (2) अवधेश स्व0 दयाराम निवासी बसिला गंगापुरवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट (3) रामकेश पुत्र इन्द्रनारायण सिंह निवासी कन्धवनिया थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को ट्रैक्टर युक्त ट्राली में कुल 16 बण्डल गांजा वजन लगभग 80 किलोग्राम सूखा गांजा जिसकी कीमत करीब 05 लाख 50 हजार रूपये है, के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आज दिनाँक-10.09.2020 को उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना कोतवाली कर्वी मय हमराहीयान क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ट्रैक्टर ट्राली में कुछ व्यक्ति छत्तीसगढ़ से गांजा लेकर रैपुरा की तरफ जा रहे है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा रेलवे फाटक खोह पर पहुचकर ट्रैक्टर के

आने का इंतजार करने लगे । थोड़ी देर बाद ट्रैक्टर आते हुए दिखायी दिया जिसे पुलिस टीम द्वारा संकेत देकर रोका गया तो ट्राली में बैठे 02 व्यक्ति भाग गये । पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए ट्रैक्टर के पास गए एवं ट्रैक्टर में बैठे 03 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर नामपता पूछा गया तो क्रमशः अपना नाम (1) धनराज पुत्र श्यामलाल निवासी कन्धबनिया थाना राजापुर जनपद चित्रकूट (2) अवधेश स्व0 दयाराम निवासी बसिला गंगापुरवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट (3) रामकेश पुत्र इन्द्रनारायण सिंह निवासी कन्धवनिया थाना राजापुर जनपद चित्रकूट बताया गया । तलाशी लेने पर सीट में बैठे 02 व्यक्तियों के थैले से 01-01 बण्डल गांजा (जिसमें प्रत्येक का वजन 05-05 किलो) बरामद हुआ एवं ट्राली के नीचे बने बॉक्स से 14 बण्डल गांजा (वजन लगभग-70 किलो) सूखा गांजा बरामद किया गया । पूछने पर बताया कि हम लोग गांजा की तस्करी करते है तथा उसी से धन अर्जित करते है । भागे हुए अभियुक्तों के नाम पता पूछने पर (1) लवलेश पुत्र काशी निवासी देहरूच थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट (2) कंचन पुत्र कुबेर निवासी दरियावपुरवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट बताये । अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 472/2020 धारा 08/20 N.D.P.S. एक्ट पंजीकृत किया गया एवं ट्रैक्टर को धारा 207 M.V.Act के तहत सीज किया गया एवं शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है ।

बरामदगीः-

कुल 16 बण्डलों में 80 किलोग्राम सूखा गांजा

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री विजय बहादुर
3. आरक्षी सतीश कुमार
4. आरक्षी प्रवीण कुमार
5. आरक्षी बृजेन्द्र सिंह
6. आरक्षी विपिन प्रताप सिंह

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में गुमशुदा एवं अपहृतों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक मऊ के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री धनन्जय राय तथा हमराहीयान द्वारा अपहृत बालिका को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 26.07.2020 को थाना मऊ अन्तर्गत अर्जुनपुर निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाना मऊ में सूचना दी गयी कि गांव का ही मोहित सिंह पुत्र दुखी सिंह मेरी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले गया है । इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 156/20 धारा 363/366 भादवि0 बनाम मोहित सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक मऊ द्वारा उ0नि0 श्री धनन्जय राय के नेतृत्व में बालिका की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया । उ0नि0 श्री धनन्जय राय एवं उनकी टीम द्वारा कड़ी मेहनत कर सुरागरसी पतारसि से दिनाँक 10.09.2020 को अभियुक्त मोहित सिंह पुत्र दुखी सिंह निवासी अर्जुनपुर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया एवं बालिका को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया ।

बरामदगी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री धनन्जय राय थाना मऊ
2. आरक्षी शिवम मिश्रा
3. आरक्षी राजिश कुमार

(5). जनसुनवाई पोर्टल पर जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु रिपोर्ट की समीक्षा शासन स्तर पर प्रतिदिन की जाती है। माह अगस्त 2020 में जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों एवं उनके गुणवत्ता परक निस्तारण के सम्बन्ध में की गयी समीक्षा में जनपद चित्रकूट पुलिस को उ0प्र0 के सभी 75 जिलों में से प्रथम स्थान प्रदान किया गया है।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट नोडल अधिकारी आईजीआरएस द्वारा उच्चाधिकारियों से प्राप्त आदेशों-निर्देशों का पालन कराते हुये कड़ी मेहनत की गयी । माह में माननीय मुख्यमंत्री संदर्भ के 03, ऑनलाईन संदर्भ 48, जिलाधिकारी/जनसेवा केन्द्र/लोकवाणी संदर्भ 155, पी0जी0 पोर्टल के 06, संपूर्ण समाधान दिवस/थाना दिवस में 21, पुलिस अधीक्षक मुलाकाती संदर्भ 366, माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन संदर्भ 122, कुल 721 संदर्भ प्राप्त हुये जिसमें से जनपद पुलिस द्वारा सभी संदर्भों का समय से निस्तारण किया गया । उ0नि0 श्री गुलाबचन्द्र सोनकार प्रभारी आईजीआरएस एवं शाखा में नियुक्त आरक्षी प्रमोद कुमार एवं महिला आरक्षी अनीशा बानो ने कड़ी मेहनत कर सभी संदर्भों की ऑनलाईन फीडिंग की गयी एवं प्राप्त संदर्भों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी जिस कारण से जनपद चित्रकूट को जनसुनवाई के मामलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

(6). आज दिनांक 10.09.202 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में पारिवारिक रिश्तों को बचाये जाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर आपस में मिल जुलकर रहने के लिए बताया गया।

उल्लेखनीय है कु0 अनन्ता देवी पुत्री रामचरन पाल निवासी अमरहा बिहारा चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा अपने पिता रामचरन द्वारा उसकी मां सुन्ता देवी एवं उसके साथ मार-पीट कर गाली गलौच कर घर से बाहर निकाल देने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रा0 पत्र दिया गया । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपरोक्त मामलों को संज्ञान में लेते हुये पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करना सुनिश्चित करें । परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त उ0नि0 श्री बैजनाथ सिंह, मुख्य आरक्षी अरुण कुमार तथा महिला आरक्षी मंजूलता द्वारा प्रार्थिया, उसकी मां एवं उसके पिता रामचरन को परिवार परामर्श केन्द्र बुलाकर प्रकरण का निस्तारण कर उनके बीच सुलह समझौता कराया गया एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद न करने हेतु कहा गया। दोनों पक्षों में आपसी सुलह होने पर पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर कर रहें।